संख्या—1407 / पॉच—5—2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,** उ0प्र0।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग—5 **लखनऊ; दिनांक 03 जुलाई, 2020**

विषयः—निजी चिकित्सालय / नर्सिंग होम में चिकित्सकीय सेवा प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कोविड—19 के संक्रमण के दृष्टिगत निजी चिकित्सालय / नर्सिंग होम्स में चिकित्सकीय सेवाएं सुचारू रूप से प्रारम्भ करने हेतु अनुमति की आवश्यकता के संबंध में भ्रम की स्थिति होने के कारण चिकित्सकीय सेवाएं प्रारम्भ करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सालय / नर्सिंग होम्स में चिकित्सकीय सेवा प्रारम्भ किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु निजी चिकित्सालय / नर्सिंग होम्स द्वारा ओ0पी0डी0 सेवाएं प्रारम्भ किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या—1220 / पांच—5—2020, दिनांक 16.06.2020 के माध्यम से निर्गत दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। नोडल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनकी टीम समस्त निजी चिकित्सालयों को आवश्यकतानुसार इंफेक्शन प्रिवेन्शन का प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या—1407 (1) / पांच—5—2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, उपचार, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

go pankaj sir